(34)

संख्या 3311/15-7-05-16(85)/2005

प्रेषक,

पी०के० उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदायकेन्द्र,
प्रीतिविहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2005

विषय :- कान्हा माखन पब्लिक स्कूल सरस्वती कुण्ड, मथुरा को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस [illegible] सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन [illegible]

(1) विद्या[illegible] की पंजीकृत [illegible] का समय-समय पर [illegible]
(2) विद्या[illegible] की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामि[illegible]
(3) विद्या[illegible] में कम से कम [illegible] प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति [illegible] बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] विद्यालयों में विभि[illegible] कक्षाओं के लिए निर्धारि[illegible] शुल्क [illegible] लिया जायेगा
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और [illegible] पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होगी तो उस शिक्षा वर्ष से उक्त [illegible]न्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्रा[illegible] अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायगें ।

(6)